

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2016/आषाढ़ 8, 1938

No. 269]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2016/ASHADHA 8, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2016

सं. फा. 1-15/2009(ए.आर.सी.).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3 का 1956) के अनुच्छेद 26 के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (जी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्न विनियमों का सृजन करता है :—

- (1) ये विनियम “उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध विनियम, 2016 (तृतीय संशोधन)” के नाम से जाने जाएंगे।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जाएंगे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, “उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध, 2009” (इसके उपरान्त प्रमुख विनियमों के सन्दर्भ में) के पैरा 3 के उप शीर्षक “रैगिंग कैसे होती है” 3(झ) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—
 - 3(अ). किसी भी छात्र को (नवीन प्रविष्ट या अन्यथा) लक्षित करके रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जातिमूल, लिंग (उभय लैंगिकों सहित) लैंगिक प्रवृत्ति, बाह्य स्वरूप, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयमूल, भाषा वैशिष्ट्य, जन्म, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना (दबंगई एवं बहिष्करण) का कृत्य।

प्रोफेसर जसपाल एस. सन्धू, सचिव (यूजीसी)

[विज्ञापन III/4/असा./149/(113)]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2016

No. F. 1-15-/2009 (ARC).—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations namely:—

- (1) These regulations may be called “Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions (third amendment), Regulations, 2016.”
 - (2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.
2. In UGC Regulations on Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (herein-after referred to as the Principal regulations), in Para 3 the following shall be added after 3(i) under heading what constitutes Ragging.—
- 3(j). Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background.

Prof. JASPAL S. SANDHU, Secy. (UGC)

[ADVT. III/4/Exty./149/(113)]